Result Mitra Daily Magazine

एक बार फिर तेज हुई आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जे की मांग

चर्चा में क्यों?

- तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू बुधवार (5 जून) को राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे, जब उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीतीं।
- टीडीपी आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी और भाजपा के साथ गठबंधन में है।
- चंद्रबाबू नायडू का समर्थन भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी लोकसभा में केवल 240 सीटें हैं।
- बदले में चंद्रबाबू नायडू कई वादे और आश्वासन हासिल कर सकते हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देना होगा।
-

विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है?

- दरअसल विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा,पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 1969 में शुरू किया गया
- जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों या भौगोलिक प्रतिकूलताओं का सामना कर रहे राज्यों के विकास में विशेष रूप से सहायता की जाती है।
- योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष गाडगिल मुखर्जी के नाम पर इसे 'गाडगिल फार्मूला' भी कहते है।
- अपितु भारतीय संविधान किसी राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में विशेष उपचार प्रदान करने का प्रावधान नहीं करता है।
- हालाँकि, प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण देश के कुछ राज्य अन्य की तुलना में पिछड़े हुए है।
- इसी आधार पर कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों को केंद्र सरकार अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है।

विशेष श्रेणी राज्यों का दर्जा देने के मानदंड

.

- राष्ट्रीय विकास परिषद विशेष श्रेणी का दर्जा देने का निर्णय निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर लेती है:
- ऐतिहासिक (युद्ध आदि) कारणों से पिछड़े राज्य
- दुर्गम तथा पहाड़ी राज्य
- कम जनसंख्या घनत्व या अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले राज्य
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे रणनीतिक क्षेत्र वाले राज्य
- आर्थिक एवं बुनियादी ढाँचे के विकास में पिछड़े राज्य
- राज्य की आय की प्रकृति का निर्धारित न होना
- राष्ट्रीय विकास परिषद, जो योजना आयोग के कार्यों की देखरेख और निर्देशन करती है, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और आयोग के सदस्यों से मिलकर बनी होती है।

वर्तमान स्थिति

- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद पूर्वोत्तर तथा तीन पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू-कश्मीर का क्षेत्र) को छोड़कर विशेष श्रेणी की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है।
- 14वें वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों के मध्य उपस्थित संसाधन अंतराल को भरने के लिये केंद्र से राज्यों को होने वाले कर हस्तांतरण को 32% से बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की थी जिसे वर्ष 2015 से लागू कर दिया गया है।
- वर्तमान समय में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें पूरा पूर्वोत्तर (असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम) और जम्मू - कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती पहाड़ी राज्य शामिल हैं।
- इसके बाद, अन्य राज्यों ने भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की - जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश का पक्ष

- जब 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के माध्यम से अविभाजित आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना बनाया गया था, तो केंद्र की यूपीए सरकार ने राजस्व की हानि की भरपाई के लिए आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था।
- नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद , नायडू जो 2014 से 2019 तक सीएम थे, और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो 2019 से 2024 तक सीएम थे, दोनों ने बार-बार विशेष श्रेणी का दर्जे की मांग की, ताकि राज्य की “संकटपूर्ण” वित्तीय स्थिति को दूर करने के लिए केंद्र से अधिक धन उपलब्ध कराया जा सके।
- साथ ही योजना आयोग के बाद नीति आयोग के समक्ष आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के अनुसार, 14वें वित्त आयोग ने अनुमान लगाया था कि 2015-20 की पांच साल की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश के लिए हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा 22,113 करोड़ रुपये होगा, लेकिन वास्तव में राजस्व घाटा 66,362 करोड़ रुपये था।
- शेष राज्य का ऋण, जो विभाजन के समय 97,000 करोड़ रुपये था, 2018-19 तक 2,58,928 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और अब 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

- इसके अलावा आंध्र प्रदेश के नेताओं का यह तर्क रहा है कि अविभाजित राज्य को अन्यायपूर्ण और असमान तरीके से विभाजित किया गया था - उत्तराधिकारी राज्य को मूल राज्य की लगभग 59% आबादी, ऋण और देनदारियाँ विरासत में मिलीं, लेकिन इसके राजस्व का केवल 47% हिस्सा मिला।
- उदाहरण के लिए, वर्ष 2013-14 के लिए आंध्र प्रदेश से 57,000 करोड़ रुपये के सॉफ्टवेयर निर्यात में से, हैदराबाद शहर का (जो विभाजन के बाद तेलंगाना में शामिल) अकेले 56,500 करोड़ रुपये का हिस्सा था।
- गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश मूलतः कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है,
- जिसके कारण राजस्व में भारी कमी आई है।
- क्योंकि वर्ष 2015-16 में तेलंगाना का प्रति व्यक्ति राजस्व 14,411 रुपये था, जबकि आंध्र प्रदेश के लिए यह केवल 8,397 रुपये था।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014

- वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत किया गया था।
- हालांकि अधिनियम में 'विशेष श्रेणी' का उल्लेख नहीं किया गया है।
- लेकिन इसमें यह उल्लेख किया गया है कि केंद्र आंध्र प्रदेश को संसाधनों की कमी को पूरा करने में मदद करेगा।
- साथ ही 'राजस्व वितरण' अनुभाग के अंतर्गत, केन्द्र सरकार समुचित अनुदान दे सकती है।
- वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को विशेष विकास पैकेज के रूप में लाभ और प्रोत्साहन दिए जाएं।
- गौरतलब है कि विधेयक के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा।
- उन्होंने कहा था कि विशेष श्रेणी का दर्जा आंध्र प्रदेश राज्य को 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा।

केंद्र सरकार का पक्ष

- केंद्र सरकार का मानना है कि वर्ष 2014 में जब राज्य का विभाजन हुआ था, तब विशेष श्रेणी का दर्जा की श्रेणी अस्तित्व में थी।
- लेकिन 14वें वित्त आयोग के निर्णय के बाद, ऐसा व्यवहार "संवैधानिक रूप से" प्रतिबंधित हो गया और इसलिए इसे प्रदान नहीं किया जा सकता।
- हालाँकि केंद्र सरकार के अनुसार वह विशेष दर्जा वाले राज्य के बराबर की “मौद्रिक राशि” प्रदान करने को तैयार है।
- एक अतिरिक्त उपाय के रूप में, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को 90-10 के अनुपात में वित्तपोषित करने पर सहमति व्यक्त की थी।

विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने से आंध्र प्रदेश पर प्रभाव

- आंध्र प्रदेश को यह दर्जा मिलने पर केंद्र से राज्य सरकार को मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि हो जाएगी।
- उदाहरणतः विशेष श्रेणी के राज्यों को दिया जाने वाला प्रति व्यक्ति अनुदान 5,573 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है, जबकि आंध्र प्रदेश को केवल 3,428 करोड़ रुपये मिलते हैं।
- यह दर्जा राज्यों को विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन जैसे आयकर छूट, सीमा शुल्क माफी, कम उत्पाद शुल्क, एक निश्चित अवधि के लिए कॉर्पोरेट कर छूट, जीएसटी से संबंधित रियायतें और केंद्रीय करों का लाभ मिलता है।
- विशेष श्रेणी का दर्जा राज्यों में केंद्र सरकार केंद्रीय योजनाओं के लिए 90% तक धन मुहैया कराती है, जबकि गैर-विशेष श्रेणी का दर्जा वाले राज्यों में यह राशि 70% तक है।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने तर्क दिया है कि इस प्रकार के विशेष प्रोत्साहन मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य के तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, तथा इससे युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होंगे तथा राज्य का समग्र विकास होगा।

विशेष श्रेणी के दर्जे से संबंधित चिंताएं

- राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करनी पड़ती है, जिससे केंद्र सरकार के संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है।
- सभी राज्यों के बीच निधियों का उचित वितरण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि विशेष श्रेणी का दर्जा न रखने वाले राज्यों के बीच किसी भी तरह की अनुचितता या असंतोष से बचा जा सके।

- विशेष श्रेणी के राज्यों को अनुदान आवंटित करने के बाद भी, प्रशासनिक अक्षमताओं, भ्रष्टाचार या अपर्याप्त नियोजन के कारण निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं।
- परिणामस्वरूप, विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्य अक्सर केंद्रीय सहायता पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं।
- इस दृष्टिकोण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और स्वतंत्र आर्थिक विकास रणनीतियों को लागू करने की दिशा में प्रयासों को हतोत्साहित करने की क्षमता है।

सारांश:

- यद्यपि विशेष श्रेणी का दर्जा के लिए चंद्रबाबू नायडू का पिछला प्रयास विफल हो गया था, हालांकि इस बार मामला अलग है।
- ध्यातव्य है कि यदि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी वाले राज्य में शामिल करती है तो अन्य राज्य भी इसकी माँग कर सकते हैं।
- इसके बजाय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर और आर्थिक अवसरों का विस्तार करके केंद्रीय सहायता पर राज्यों की निर्भरता कम करने के लिए रणनीति विकसित करना।